

# न्यायालय जिला कलक्टर करौली

पीठासीन अधिकारी अभिमन्यु कुमार आई.ए.एस

मि०न० 119/14

रजू दिनांक 20.10.2014

उनवान

1. कैलाप्रसाद पुत्र बलबन्त जाति मीना निवासी गुवरेडा तहसील मासलपुर  
जिला करौली

—अपीलान्ट

बनाम

राजस्थान सरकार जरिये— तहसीलदार तहसील मासलपुर जिला करौली

—रेस्पोडेन्ट

अपील व नाराजगी निर्णय दिनांक 10.09.2014 न्यायालय तहसीलदार मासलपुर उनवानी सरकार बनाम कैलाप्रसाद मुकदमा नम्बर 244/14 अन्तर्गत धारा 91 एल आर एक्ट जिसके रूह से अपीलांटस् तीन माह के सिविल कारावास व पैनल्टी से दण्डित किया गया है के विरुद्ध धारा 75 एल आर एक्ट

उपस्थिति 1. राजेश शर्मा एडवोकेट

2. ब्रह्मानन्द बंसल एडवोकेट पैरोकार सरकार

निर्णय

दिनांक:-28/08/2017

यह अपील अपीलान्ट की ओर से जरिये अभिभाषक ने न्यायालय तहसीलदार मासलपुर के मुकदमा नं० 244/2014 अन्तर्गत धारा 91 भू-राजस्व अधिनियम 1956 के तहत उनवानी सरकार बनाम कैलाप्रसाद पुत्र बलबन्त जाति मीना निवासी गुवरेडा तहसील मासलपुर में पारित निर्णय दिनांक 10.09.2014 से व्यथित होकर न्यायालय हाजा में पेश की हैं।

संक्षेप में प्रकरण के तथ्य इस प्रकार हैं कि अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2014 एक तरफा मनमाना है और परिवारिश रेस्पोडेन्ट है। जो पत्रावली पर उपलब्ध तथ्यों के विपरीत है। उक्त निर्णय दिनांक 10/9/2014 पारित करने से पूर्व अपीलांट को कोई विधिवत सुनवाई का सम्मननोटिस प्राप्त नहीं हुआ और दिना सुने व सुनवाई का समूचित अवसर दिये बिना ही एक मात्र पटवारी हल्का की झूठी रिपोर्ट व वयान के आधार पर निर्णय पारित किया गया है। जबकी विधिवत तोर पर निर्णय पारित करने से पूर्व कानूनन नोटिस दिया जाना व साक्ष्य सुनवाई व जबाब देही का अवसर दिया जाना आवश्यक है। ऐसा पारित निर्णय नैसर्गित न्याय के विपरीत है। जो अपास्त किये जाने योग्य है।

यहकि पटवारी हल्का गुवरेडा द्वारा न तो मौके पर जाकर मौका अवलोकन किया ना ही कोई आस पडोस के गवाहान से कोई पूछताछ की और बगैर मौका जॉच किये विवादित भूमि खसरा नं. 1200 रकवा 2 बीघा गैर मुमकिन वेहड पर प्रार्थी अपीलांट का कब्जा मानते हुए झूठी रिपोर्ट कर दी जबकि बाद ग्रस्त भूमि पर प्रार्थी अपीलांट का मौके पर कोई कब्जा काशत व उपयोग नहीं है ना ही कोई फसल काशत की गई है रंजिशवश फसल बाजरा काशत करना व कब्जा करना अपनी रिपोर्ट में दर्ज कर द्वेषता पूर्ण तरीक से रिपोर्ट दी गयी है। अपीलांट का कभी भी कोई सरकारी भूमि पर अतिक्रमण करने व फसल काशत करने की चेष्टा नहीं की है। और वयान गैरसायल द्वारा पश्चातवर्ती अतिक्रमी हैं। उक्त प्रकरण को निस्तारण करने पूर्व प्रार्थी को न तो सम्मन नोटिस तामील हुए नाही कायी सुनवाई व साक्ष्य व जबाबदेही का अवसर अधीनस्थ न्यायालय द्वारा दिया है एसी सूरत में एक तरफ निर्णय अधीनस्थ न्यायालय द्वारा प्रार्थी अपीलांट को हैरिसमैन्ट करने व दबाव डालने की बदनीयती से सजा व पैनल्टी से दण्डित करने में कानूनी भूल की है। और बादग्रस्त भूमि पर अपीलांट का कोई कब्जा नहीं है जिस के वावत अपीलांट अण्डरटेकिंग पेश करने को तैयार है भविष्य में कोई अतिक्रमण व कब्जा नहीं करेगा।

अन्त में अपीलान्त ने अपील स्वीकार कर अधीनस्थ न्यायालय का निर्णय दिनांक 10.09.2014 को निरस्त किये जाने का निवेदन किया है।

अपील अपीलान्त दर्ज रजिस्टर की जाकर रेस्पोंडेंट की तलबी जरिये सम्मन नोटिस की जाकर अधीनस्थ न्यायालय का रिकार्ड तलब किया जाकर प्राप्त होने पर शामिल पत्रावली किया गया।

बहस उभयपक्ष सुनी गई। वकील अपीलान्त ने अपील मीमों में दर्ज तथ्यों को मौखिक बहस में दोहराते हुए कथन किया की अधीनस्थ न्यायालय ने अपीलांट को सुनवाई, साक्ष्य व जवाबदेही का पर्याप्त अवसर नहीं दिया है। और नाही अपीलांट को कोई सम्मन नोटिस दिया गया है। विवादित आराजी से अपीलांट ने पूर्व में ही कब्जा छोड़ दिया है और वर्तमान में अपीलांट का आराजी पर कोई कब्जा/काश्त नहीं है। इस सम्बन्ध में अपीलान्त ने आराजी से अतिक्रमण हटा लिया है। भविष्य में, मैं किसी भी सरकारी जमीन पर अतिक्रमण नहीं करूंगा। इस बावत अण्डर टेकिंग प्रस्तुत कर अपीलांट की सजा माफ किये जाने का निवेदन किया है।

पैरोकार सरकार ने बहस के दौरान कथन किया कि अपीलांट ने सम्वत 2071 में आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 2 बीघा किस्म गैरमुमकिन वेहड ग्राम गुवरैडा भूमि में कब्जा जोत कर अतिक्रमण कर कब्जा कर रखा है तहसीलदार मासलपुर ने जो निर्णय पारित किया है वह सही है अपील अपीलान्त निरस्त फरमाई जावे।

हमने उभय पक्षकारान की बहस सुनी तथा पत्रावली का अवलोकन किया गया पत्रावली में उपलब्ध रिकार्ड व अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली का अवलोकन करने पर पाया कि विवादित आराजी खसरा नम्बर 1200 रकबा 2 बीघा किस्म गैर मुमकिन वेहड ग्राम गुवरैडा भूमि पर अतिक्रमण मानते हुए पटवारी हल्का ग्राम गुवरैडा तहसील मासलपुर ने अतिक्रमण की जो रिपोर्ट की है उस पर अधीनस्थ न्यायालय ने धारा 91 की कार्यवाही करते हुए निर्णय पारित कर अपीलांट को तीन माह कि सिविल कारावास कि सजा व 50 रुपये की शास्ती आरोपीत कर बेदखल करने का आदेश दिया है। इस वावत अपीलांट द्वारा न्यायालय हाजा में अण्डर टेकिंग पेश कर निवेदन किया है कि अपीलान्त ने भूमि से अतिक्रमण/कब्जा हटा लिया है एवं मैं भविष्य में सरकारी जमीन पर कभी भी अतिक्रमण/कब्जा नहीं करूंगा व मौके पर जमीन खाली पडी हुई है। अतः अपीलांट की सिविल कारावास की सजा माफ करने का निवेदन किया है। अतः अपीलांट को अनुतोष के रूप में तीन माह के सिविल कारावास की सजा के दण्ड को माफ करना उचित प्रतीत होता है।

अतः अपील अपीलान्त आंशिक रूप से स्वीकार की जाती है। पत्रावली इस निर्देश के साथ तहसीलदार मासलपुर को रिमाण्ड की जाती है कि यदि अपीलांट ने वास्तव में मौके से अतिक्रमण हटा लिया है। एवं भविष्य में अतिचार नहीं करने वावत लिखित में शपथ पत्र प्रस्तुत कर देवे कि वह भविष्य में सरकारी भूमि पर अतिक्रमण नहीं करेगा तो सिविल कारावास कि सजा अपास्त रहेगी। अन्यथा तहसीलदार मासलपुर का अपीलाधीन आदेश दिनांक 10.09.2014 यथावत रहेगा। अधीनस्थ न्यायालय की पत्रावली के साथ निर्णय की प्रति भिजवाई जावे पत्रावली फैसल शुमार होकर नम्बर से कम होकर दाखिल दफतर हो। निर्णय आज दिनांक 28.08.2017 को खुले न्यायालय में लिखवाया जाकर सुनाया गया।

(अभिर्मन्धु कुमार)  
(आई.एस.एस.)  
जिला कलेक्टर  
करौली